



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-533

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 144055 दिनांक 04/07/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	HANUMAN PRASAD MEENA S/o RAMJIDA MEENA	हनुमान प्रसाद मीणा पुत्र रामजीडा मीणा	9/DE/241	12.50 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-D	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta)	जविप्रा की योजना रिंग रोड के भूखण्ड संख्या 9/डीई/241 क्षेत्रफल 12.50 व.मी. का आवंटन पत्र क्रमांक डी-792 दिनांक 14.02.2020 को हनुमान प्रसाद मीणा पुत्र रामजीडा मीणा के नाम से जारी किया गया था। आवेदक द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण की मूल पत्रावली जोन कार्यालय रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसकी तलाश जारी है। सीपीआरएमएस पर दर्ज रिकार्ड अनुसार डी-792 दिनांक 14.02.2020 को हनुमान प्रसाद मीणा पुत्र रामजीडा मीणा के नाम पर आवंटन पत्र जारी होना दर्ज है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
---	--	---------------------------------------	----------	-----------------	-----	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. HANUMAN PRASAD MEENA S/o RAMJIDA MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |